हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/1 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए — पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   (i) स्थगित
(ii) दिन के लिए — पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, योजना अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:टी0सी0पी0-(बी)2-3/2014(रूल्ज़) पीओ दिनांक 29.05.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.06.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

(2) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग, उप औषधि नियन्त्रक, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:स्वास्थ्य-सी-ए(2)-6/2018-लूज़ दिनांक 02.07.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.07.2019 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) प्रथम संशोधन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:श्रम(ए)4-5/2017 दिनांक 27.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.11.2018 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री**
श्री आशीष बुटेल } प्रस्ताव करेंगे कि:

"हाल ही में प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की सूची में की जा रही कटौती के कारण उत्पन्न स्थिति से **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।"

(2) **श्री किशोरी लाल**, प्रदेश में केन्द्र सरकार की इलैक्ट्रीक वाहन नीति की तर्ज पर ई-वाहन नीति बनाने की ओर **वन मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

श्री नरेन्द्र ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"सरकार द्वारा चलाई जा रही **'हिम केयर'** व **'सहारा'** योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"

6. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री नरेन्द्र ठाकुर,** "दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1185 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(2) **श्री राम लाल ठाकुर,** "दिनांक 20 अगस्त, 2019 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

(3) **श्री राजेन्द्र राणा,** "दिनांक 19 अगस्त, 2019 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।"

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 22 अगस्त, 2019 सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(षष्टम् सत्र)

शुक्रवार, 23 अगस्त, 2019/ 1 भाद्रपद, 1941 (शक्) के लिए निर्धारित

तारांकित प्रश्न सूची हेतु

शुद्धिपत्र

मद संख्या	शुद्धियां
*1343	"शहरी विकास मन्त्री" को " ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री " पढ़ा जाए।

शिमला-171004
दिनांक: **22** अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,
सचिव।

****